Title: Need to bring apple crop in Himachal Pradesh under Crop Insurance Scheme- Laid.

कर्नल (सेवानिवृत्त) डॉ.धनी राम शांडिल्य (शिमला) : महोदय, हिमाचल प्रदेश को ' सेबों का राज्य ' नाम से जाना जाता है। इस प्रदेश के बारह जिलों में से सात जिलों में सेब का उत्पादन होता है। नकदी फसल होने के कारण सेब के उत्पादन से जहां हिमाचल के कृाकों व फल उत्पादकों की आर्थिक दशा में सुधार आया है, उसी के साथ सेब के पौधों के लगाने से भूमि संरक्षण व पर्यावरण सुरक्षा जैसे राट्रीय स्तर के लाभ भी प्राप्त हुए हैं। मान्यवर, पिछले कुछ वार्षों से सेब के उत्पादकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे मौसम में परिवर्तन व ओलावृटि से सेब के उत्पादन में भारी गिरावट आई है। कृाकों व बाग वानों को फसल का उचित मूल्य न मिलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी है और बहुत से इस वर्ग के लोग कर्जे में डूबने के कगार पर हैं। प्रदेश सरकार के समर्थन मूल्य के बावजूद इस स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इन सब समस्याओं के साथ जूझते सेब उत्पादक जब राजधानी की मंडी में अपने फल लाते हैं तो उन्हें उत्पाद शुल्क देना पड़ता है। इन सब समस्याओं के चलते मेरा केन्द्रीय कृाि मंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि सेब को राट्रीय कृाि व बागवानी एवं फसल बीमा योजना के तहत लाया जाए ताकि कृाकों, फल उत्पादकों व सेब के बागवानों की स्थिति में सुधार हो और उनकी समस्याओं का समाधान हो सके।